

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<p>29.05.2020</p>	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनवाद</b> <b>आर्बिट्रेशन केश नं०-04/2020</b></p> <p style="text-align: center;">विरेन्द्र प्रसाद मुंशी                      -वनाम्-                      भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा-राजगंज, थाना नं०-198, खाता नं०-50, प्लॉट नं०-1488, रकवा-0.17 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 4/6 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थ विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि मौजा-राजगंज, थाना नं०-198, खाता नं०-50, प्लॉट नं०-1488, रकवा-0.17 एकड़ जमीन भू-अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त भूमि आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि है, परन्तु कृषि भूमि के दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा आवासीय दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। वास्तविक संरचना स्थित रहने वाले हिस्से के भूखण्ड का मुआवजा आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर नियमानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार भू-अर्जन पदाधिकारी निर्मित संरचना एवं उसके वास्तविक क्षेत्रफल की जाँच करते हुए गणना के आधार पर उक्त आवासन से संबंधित आंशिक भूखण्ड के मुआवजा का भुगतान आवासीय प्रकृति की भूमि के लिए निर्धारित दर पर किया जाना सुनिश्चित कराये। अपेक्षित आवास रहित खाली पड़े भूमि के विरुद्ध किये गये मुआवजा भुगतान के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है तदनुसार वाद का निस्तार किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">अपर समाहर्ता, -सह- आर्बिट्रेटर धनवाद।</p> <p style="text-align: right;">अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनवाद।</p>	